(7)

संख्या– 141/XX(1)/11–57/नि./2010

प्रेषक,

जे. पी. जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखंड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून

गृह अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2011

विषयः–''**पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना'' के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के थाना घनसाली के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–08/2010, दिनांक 20 जनवरी, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना'' के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में थाना घनसाली के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था लो.नि.वि. टिहरी गढ़वाल से प्राप्त प्रथम चरण के आगणन रुपये 2.51 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण धनराशि रूपये 1.70 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु रूपए 1.70 लाख (रूपए एक लाख सत्तर हजार मात्र) अवमुक्त कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को गध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

कमशः............2

7– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

9– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (Uttarakhand Procurement Rules), 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

12– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

13– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस मद के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

14– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, 800–अन्य व्यय, आयोजनेत्तर, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 0101–पुलिस बल का आधुनिकीकरण(50% के.स.) के मानक मद 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः– 870/NP/xxvii(5)/2011 दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून / टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्माण कार्य हेतु द्वितीय चरण का आगणन तैयार कर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 03 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव